अध्याय 15

कल्याण उपाय

कल्याण उपाय

1. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 2016 का कार्यान्वयन

01.01.2020 की स्थिति के अनुसार सीआईएल में निःशक्त व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला विवरणः

कंपनी	कर्मचारियों की संख्या			
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
ईसीएल	57,911	5	16	72
बीसीसीएल	44,319	33	17	50
सीसीएल	38,632	19	14	37
डब्ल्यूसीएल	40,680	41	6	75
एसईसीएल	52,414	29	6	116
एमसीएल	21,996	27	11	96
एनसीएल	14,559	10	9	45
एनईसी	1,259	0	0	1
सीएमपीडीआई	3,192	3	4	21
डीसीसी	258	0	0	0
सीआईएल (मुख्यालय)	872	1	0	1
कुल सीआईएल	**2,76,092**	**168**	**83**	**514**

1996–97 से समूह 'ग' तथा 'घ' में नियुक्तियों का ब्यौराः

वर्ष	नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या	आरक्षण कोटा के अधीन भरे गए पदों की संख्या		
		वीएच	एचएच	ओएच
1996-97 To 01.01.2020	12,187	138	66	218

वीएच = दृष्टि बाधित

एचएच = श्रवण बाधित

ओएच = शारीरिक निःशक्तता

2. एससी/एसटी के लिए आरक्षण नीति

सीआईएल

राष्ट्रपति के निदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की भर्ती तथा पदोन्नति में आरक्षण नीति को कार्यान्वित किया जा रहा है।

	सीधी भर्ती				पदोन्नति		
समूह क तथा ख पदों के लिए	अनु.जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.वर्ग	ई डब्ल्यू एस	समूह क,ख, ग तथा घ के लिए	अनु. जाति	अनु. जनजाति
खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा (लिखित) के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर	15%	7 ½%	27%	10%	अखिल भारत	15%	7 ½%
बिना लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के अखिल भारतीय आधार पर	16⅔%	7 ½%	शेष 50% तक सीमित	10%			

उपर्युक्त के अलावा, समूह ग तथा घ पदों की भर्ती में आरक्षण के संबंध में निर्देश हैं जहां राज्य–वार आरक्षण मानकों को बरकरार रखा जा रहा है। सहायक कंपनी–वार/कंपनी–वार आरक्षण प्रतिशत नीचे दिया गया है:

राज्य	कंपनी	अनु. जाति का %	अनु. जनजाति का %	अन्य पिछड़े वर्गों का %
झारखंड	बीसीसीएल	12	26	12
झारखंड	सीसीएल	12	26	12
झारखंड	सीएमपीडीआईएल	12	26	12
प.बंगाल	ईसीएल	23	5	22
प.बंगाल	सीआईएल, कोलकाता	23	5	22
ओडिशा	एमसीएल	16	22	12
मध्य प्रदेश	एनसीएल	15	20	15
छत्तीसगढ़	एसईसीएल	12	32	13
महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	10	9	27
असम	एनईसी	7	12	27

01.01.2020 की स्थिति के अनुसार सीआईएल में समूह–वार कर्मचारियों तथा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत नीचे दिया गया है:

समूह	कुल संख्या	अनु. जाति का %	अनु. जनजाति का %	अन्य पिछड़े वर्गों का %
क	15,035	14.97	7067	16.91
ख	19,365	13.62	9.58	25.01
ग	1,35,138	19.12	14.89	23.68
घ (सफाईवालों को छोड़कर)	1,04,409	21.08	19.27	23.99
घ (सफाईवाला)	2,145	98.97	0.33	0.00
कुल	**2,76,092**	**19.87**	**15.67**	**23.34**

एनएलसीआईएल

एनएलसीआईएल अनु.जाति, अनु. जनजाति और निःशक्त व्यक्तियों को ऊपर उठाने के लिए कई कल्याणकारी उपाय भी करती है। कॉरपोरेट मानव संसाधन विकास विभाग के एक भाग के रूप में अ.जा, अ.ज.जा कर्मचारियों, निःशक्त व्यक्तियों भूतपूर्व सैनिकों तथा अल्पसंख्यकों के सेवा मामलों के निपटान हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। ये प्रकोष्ठ उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों की शिकायतों तथा तकलीफों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करता है। इस प्रकोष्ठ के कार्यों में एक है अ.जा, अ. ज.जा, अन्य पिछड़ा वर्ग भूतपूर्व सैनिकों, निःशक्त व्यक्तियों और अल्पसंख्यकों से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करना तथा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न प्राधिकरणों को ये आंकड़े उपलब्ध कराना। इस प्रकोष्ठ का उद्देश्य यह भी है कि भर्ती, पदोन्नित तथा अन्य सेवा मामलों में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध सुरक्षा उपायों से कर्मचारियों को अवगत कराया जाए तथा आरक्षण नीति पर राष्ट्रपतीय निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

31 दिसंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के कर्मचारियों के प्रतिशत से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

समूह	आरक्षण का लागू प्रतिशत		जनशक्ति की स्थिति			उपलब्ध प्रतिशत	
	अनु.जाति	अनु. जनजाति	कुल	अनु.जाति	अनु. जनजाति	अनु.जाति	अनु. जनजाति
क	15 एवं 16.66*	7.5	3482	730	311	20.96	8.93
ख	15 एवं 16.66*	7.5	148	40	4	27.03	2.70
ग	19	1	7526	1452	82	19.29	1.09
घ	19	1	473	95	2	20.08	0.42
कुल	-	-	**11629**	**2317**	**399**	**19.92**	**3.43**

* खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा अखिल भारत आधार पर भर्तियों के लिए 15% आरक्षण।

* खुली प्रतिस्पर्धा के अलावा अखिल आधार पर भर्तियों के लिए 16.66% आरक्षण।

उपर्युक्त आरक्षण की मात्रा तमिलनाडु में समूह ग एवं घ पदों के लागू होती है। तथापि, समूह ग एवं घ पदों के लिए आरक्षण की मात्रा जो आमतौर पर किसी स्थान या किसी क्षेत्र से अभ्यर्थियों को आकर्षित करती है, को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य/संघ राज्य–क्षेत्रों में आबादी के भाग के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

अ.जा./अ.ज.जा. के कल्याण हेतु अनुसूचित जाति उप योजनाः

एनएलसी इंडिया लिमिटेड सीधी भर्तियों और पदोन्नतियों के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का ईमानदारी से पालन करती है। भर्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (का.एवं प्र.वि.) और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर सिस्टम के अनुसार की जाती हैं। एनएलसीआईएल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लागू आरक्षण नियमों/दिशा–निर्देशों के यथोचित अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संपर्क अधिकारियों के अधीन अलग–अलग अ.जा. और अनु.ज.जा. सेलों को स्थापित किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षण का लाभ ऐसे लाभों के लिए पात्र सही दावेदार को मिलना चाहिए, एनएलसीआईएल संबंधित राज्य/जिला प्राधिकरणा/जिला स्तर सतर्कता समिति (डीएलवीसी)/राज्य स्तर जांच समिति (एसएलएससी) के माध्यम से प्रारंभिक नियुक्ति के समय अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों की जाति स्थिति का सत्यापन ईमानदारी से करती है।

इन कल्याणकारी उपायों में निम्नलिखित सुविधाएं केन्द्रित हैं:–

- एनएलसी इंडिया लिमिटेड के प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ रहे प्रत्येक बच्चे को प्रतिवर्ष 2 सेट यूनीफार्म निशुल्क उपलब्ध कराना।
- पहली से पांचवी कक्षा तक के बच्चों को दो वर्षों में एक बार निशुल्क जूते उपलब्ध कराना।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 100 छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियां प्रदान करना।
- होस्टल व्यय के लिए 2500 रू/– के अलावा संबंधित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रतिवर्ष 2400 रू/– से 6100/–रू. तक मौद्रिक सहायता प्रदान करना।
- एस.एस.एल.सी और एचएससी परीक्षा में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को नकद पुरस्कार प्रदान करना।
- जवाहर विज्ञान महाविद्यालय नेयवेली में पढ़ रहे अ. जा./अ.ज.जा. श्रेणी के विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति करना।
- कार्यपालक विकास कार्यक्रमों जैसे विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन विशिष्ट रूप से अ.जा./अ.ज. जा. कर्मचारियों के लाभ के लिए किया जाता है।
- प्रशिक्षु प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत तकनीकी तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।
- अनु.जाति/अनु. जनजाति के मध्य खेल विकास और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित युवा व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 2016 का कार्यान्वयन

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (का. एवं प्र.वि.) द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार कुछ सुविधाएं प्रदान करने के लिए एनएलसी इंडिया लि. में निःशक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडीज) के लिए एक व्यापक नीति बनाई गई है। एनएलसी इंडिया लि. का.एवं प्र.वि. द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार पीडब्ल्यूडीज के लिए रोजगार में 4% आरक्षण देती है और साथ ही इसने निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत प्रावधानों के अनुपालन में अपने कार्य बल में शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के उपयुक्त प्रतिनिधित्व को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं।

दिनांक 30 नवंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार एनएलसीआईएल में बेंचमार्क निःशक्त व्यक्तियों (एचएच, ओएच, वीएच श्रेणी के तहत) का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है:

समूह	कुल संख्या	बेंचमार्क निःशक्तता की प्रकृति			
		एचएच	ओएच	वीएच	कुल
क	3482	1	28	1	30
ख	148			1	1
ग	7526	11	70	20	101
घ	473	35	5	27	
कुल	**11629**	**47**	**103**	**49**	**199**

एचएच–श्रवण बाधितय, ओएच– शारीरिक निःशक्तता; वीएच–दृष्टि बाधित

*****